

घरेलू हिंसा की रोकथाम में महिला सहायता संस्थाओं और कानून की भूमिका

विनोद कुमार¹ एवं डॉ. परवीन कुमार चौहान²

¹ शोधार्थी, कानून-विभाग

² प्रोफेसर, कानून-विभाग

मोनाड विश्वविद्यालय, हापुर

सारांश

घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रभावी महिला सहायता संस्थाओं की सक्रिय भूमिका भी आवश्यक है। प्रस्तुत शोधपत्र में घरेलू हिंसा की रोकथाम में कानून तथा महिला सहायता संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा संरक्षण अधिकारियों, महिला हेल्पलाइन, एकल केंद्र, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, विधिक सेवा संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के योगदान पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रावधान महिलाओं को संरक्षण आदेश, निवास संबंधी अधिकार, आर्थिक सहायता, अभिरक्षा तथा क्षतिपूर्ति जैसी राहत प्राप्त करने का आधार प्रदान करते हैं। वहीं महिला सहायता संस्थाएं पीड़ित महिलाओं को कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक सहायता, चिकित्सीय सेवाएं, सुरक्षित आश्रय तथा पुलिस और न्यायिक संस्थाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य संकेतक: - महिला संरक्षण, कानूनी सहायता, महिला हेल्पलाइन, संरक्षण अधिकारी, एकल केंद्र, महिला अधिकार, विधिक जागरूकता, पुनर्वास।

परिचय

घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक उत्पीड़न के रूप में भी सामने आती है। घरेलू हिंसा महिला के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक भागीदारी तथा आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती है। भारत में घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ महिला सहायता संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ने महिलाओं को संरक्षण आदेश, निवास संबंधी अधिकार, आर्थिक राहत, अभिरक्षा तथा क्षतिपूर्ति जैसी विभिन्न प्रकार की कानूनी राहत उपलब्ध कराने का आधार प्रदान किया। इस कानून के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों को महिलाओं को कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय, चिकित्सीय सहायता तथा आवश्यक न्यायिक राहत प्राप्त करने में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है।

घरेलू हिंसा की प्रकृति और समस्या

घरेलू हिंसा का स्वरूप बहुआयामी है। परिवार के भीतर महिला के साथ मारपीट, धमकी, अपमान, जबरदस्ती, आर्थिक संसाधनों से वंचित करना, यौन उत्पीड़न तथा मानसिक दबाव जैसी स्थितियां घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ सकती हैं। घरेलू हिंसा की समस्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अनेक महिलाएं सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, बच्चों की चिंता, परिवार की प्रतिष्ठा तथा कानूनी प्रक्रिया के प्रति जानकारी के अभाव के कारण हिंसा के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं।

इसलिए घरेलू हिंसा की रोकथाम केवल कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि महिलाओं को कानून की जानकारी, सुरक्षित शिकायत व्यवस्था, परामर्श, आश्रय और पुनर्वास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 371503 मामले दर्ज हुए थे, जबकि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या 496 थी; यह अंतर इस बात की ओर संकेत करता है कि घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों तक पहुंच और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की भूमिका

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत के प्रमुख कानूनों में से एक है। इस कानून का उद्देश्य महिला को केवल हिंसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उसे तत्काल और व्यावहारिक संरक्षण तथा राहत प्रदान करना भी है। कानून के अंतर्गत महिला को संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, अभिरक्षा आदेश और क्षतिपूर्ति जैसे उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। संरक्षण अधिकारी महिला की शिकायत को दर्ज कराने, घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करने तथा न्यायालय से आवश्यक राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। इस प्रकार कानून घरेलू हिंसा को निजी पारिवारिक विषय मानकर छोड़ने के बजाय इसे महिला के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा विषय बनाता है।

महिला सहायता संस्थाओं की भूमिका

महिला सहायता संस्थाएं घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं और न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण संपर्क का कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, एकल केंद्र, संरक्षण अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण तथा गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं का कार्य शिकायत प्राप्त करना, महिला को उचित संस्था तक पहुंचाना, कानूनी जानकारी देना, परामर्श उपलब्ध कराना, पुलिस और अस्पताल जैसी सेवाओं से जोड़ना तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने में सहायता करना है।

वर्ष 2022 तक महिला हेल्पलाइन योजना के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा चुकी थी। वर्ष 2015 से लागू महिला हेल्पलाइन योजना का उद्देश्य हिंसा तथा संकट का सामना कर रही महिलाओं को चौबीस घंटे सहायता और संबंधित संस्थाओं से जोड़ना था। मार्च 2022 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 6870000 से अधिक कॉल प्राप्त होने की सूचना दी गई थी।

महिला हेल्पलाइन की भूमिका

महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा की स्थिति में सहायता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हेल्पलाइन के माध्यम से महिला अपनी समस्या के संबंध में जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकती है तथा आवश्यकता के

अनुसार पुलिस, अस्पताल, विधिक सहायता और अन्य सहायता संस्थाओं से जोड़ी जा सकती है। इसकी विशेषता यह है कि महिला को प्रारंभिक स्तर पर सीधे किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष 2022 में महिला हेल्पलाइन व्यवस्था के अंतर्गत चौबीस घंटे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। महिला हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था के साथ जोड़ने का उद्देश्य संकट की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना था।

एकल केंद्रों की भूमिका

घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकल केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों में चिकित्सीय सहायता, पुलिस से संबंधित सहायता, कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी सेवाओं को एकीकृत करने की व्यवस्था की गई। अप्रैल 2015 से एकल केंद्र योजना को लागू किया गया और इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। इस व्यवस्था ने घरेलू हिंसा के मामलों में महिला को अलग-अलग संस्थाओं के बीच भटकने की कठिनाई को कम करने की दिशा में सहायता प्रदान की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा से संबंधित शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण संस्था है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायतों के संदर्भ में आयोग महिलाओं को संबंधित पुलिस अधिकारियों, अस्पतालों, विधिक सेवा संस्थाओं और परामर्श सेवाओं से जोड़ने में सहायता करता है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं के लिए चौबीस घंटे की हेल्पलाइन प्रारंभ की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों को संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना तथा उन्हें आवश्यक कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता से जोड़ना था।

विधिक सहायता की भूमिका

घरेलू हिंसा के मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक महिलाएं वकील की फीस, न्यायालय की प्रक्रिया और कानूनी दस्तावेजों की जटिलता के कारण शिकायत दर्ज कराने से पीछे हट सकती हैं। विधिक सेवा संस्थाएं महिलाओं को उनके अधिकारों के

बारे में जानकारी देने तथा आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संरक्षण अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा, आर्थिक राहत, सुरक्षित आश्रय और चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने में सहायता करना शामिल है।

संरक्षण अधिकारियों का महत्व

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में संरक्षण अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पीड़ित महिला और प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करना, महिला को उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी देना तथा आवश्यक आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करना उनके प्रमुख कार्यों में शामिल है। इस प्रकार संरक्षण अधिकारी कानून को केवल कानूनी दस्तावेज न बनाकर पीड़ित महिला तक व्यावहारिक सहायता पहुंचाने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनाते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर-सरकारी संगठन घरेलू हिंसा की रोकथाम में जागरूकता, परामर्श, कानूनी सहायता, पुनर्वास और सामुदायिक हस्तक्षेप के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ग्रामीण तथा सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में इन संस्थाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वहां महिलाओं को सरकारी संस्थाओं तक पहुंचने में सामाजिक और भौगोलिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गैर-सरकारी संस्थाएं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, हिंसा को पहचानने तथा उपलब्ध सहायता प्रणालियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। प्रभावी परिणामों के लिए इन संस्थाओं का पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य संस्थानों और महिला सहायता केंद्रों के साथ समन्वय आवश्यक है।

कानून और संस्थाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियां

कानूनी प्रावधानों और सहायता संस्थाओं की उपलब्धता के बावजूद इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियां दिखाई देती हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और संरक्षण से संबंधित लेखापरीक्षा में कार्यबल की कमी, पुनर्वास गृहों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, जागरूकता की आवश्यकता तथा विधिक सहायता प्रदान करने में देरी जैसी समस्याओं की पहचान की गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया

गया कि प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय और पर्याप्त मानव संसाधन आवश्यक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कानून की प्रभावशीलता केवल उसके अस्तित्व पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके सही क्रियान्वयन, संस्थागत क्षमता और महिलाओं तक उसकी पहुंच पर भी निर्भर करती है।

जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन

घरेलू हिंसा की रोकथाम में कानूनी जागरूकता सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। महिलाओं को यह जानकारी होना आवश्यक है कि शारीरिक हिंसा के साथ-साथ मानसिक, आर्थिक और अन्य प्रकार का उत्पीड़न भी गंभीर समस्या हो सकता है और ऐसी परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत, समुदाय और मीडिया के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों तथा घरेलू हिंसा के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी प्रसारित की जा सकती है। साथ ही पुरुषों और समुदाय के अन्य सदस्यों में भी सम्मानपूर्ण पारिवारिक संबंध, लैंगिक समानता और हिंसा-विरोधी व्यवहार के प्रति जागरूकता विकसित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा की रोकथाम में कानून और महिला सहायता संस्थाएं एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ने महिलाओं को संरक्षण और विभिन्न प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान किया, जबकि संरक्षण अधिकारी, महिला हेल्पलाइन, एकल केंद्र, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, विधिक सेवा संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठन इन अधिकारों को व्यवहार में उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। उपलब्ध प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि संस्थागत सहायता के बावजूद मानव संसाधन, जागरूकता, समन्वय, आधारभूत सुविधाओं और समयबद्ध विधिक सहायता से संबंधित चुनौतियां बनी रही हैं।

इसलिए घरेलू हिंसा की प्रभावी रोकथाम के लिए कानून के कठोर और संवेदनशील क्रियान्वयन के साथ महिला सहायता संस्थाओं की पहुंच, त्वरित सहायता, कानूनी जागरूकता, सुरक्षित आश्रय, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करना आवश्यक है। महिला को केवल हिंसा से बचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए आवश्यक सामाजिक तथा संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराना भी घरेलू हिंसा की दीर्घकालीन रोकथाम का महत्वपूर्ण आधार है।

संदर्भ

1. भारत सरकार। (2005)। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।
2. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2015)। महिला हेल्पलाइन योजना और इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रावधान।
3. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2021)। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए चौबीस घंटे राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन।
4. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। (2022)। महिलाओं के विरुद्ध अपराध और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण संबंधी जानकारी।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक। (2022)। राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।